प्राक्कथन

यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, की धारा 19-ए के तहत तैयार किया गया है। लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों 2014 और लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 के अनुसार की गई है।

2010 को समाप्त पिछले दशक ने पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित मुद्दे प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में वृद्धि; तथा संकुचित सुपुर्दगी कार्यक्रमों के रूप में भेल को कई चुनौतियां दी हैं। इन चुनौतियों के मद्देनजर, 2012-13 के बाद से भेल के टर्न ओवर में तीव्रता से गिरावट आई है और 2015-16 में पहली बार लाभकारिता भी नकारात्मक में परिवर्तित हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए, ''उभरते बाजारों में भेल की प्रतिस्पर्धात्मकता'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सभी चार विद्युत क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालयों, 17 विनिर्माण यूनिटों में से आठ और तीन गैर-विनिर्माण यूनिटों के कार्यों को कवर किया गया है।

लेखापरीक्षा, भेल और भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।